बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

कार्यालय आदेश

का0आ0सं0:–3/अ0प्र0–1–76/2020 125 /पटना, दिनांक :– 6-3-25

श्री बोधराज, तत्कालीन निम्नवर्गीय लिपिक, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, वीरपुर के विरूद्ध कार्य प्रमंडल, वीरपुर अंतर्गत संवेदक नारायण कन्सट्रक्शन द्वारा निविदा आई0डी0 सं0–64663 एवं बीड आई0डी0–289120 में अग्रधन के रूप में प्रयुक्त बैंक गारंटी संख्या क्रमशः 2018/115, 2018/108, एवं 2018/104 का State SBD की कंडिका 16.1.d में निहित प्रावधान के अनुरूप सत्यापन एकरारनामा संपादित होने से पूर्व नहीं करने तथा जाँच में प्रयुक्त बैंक गारंटी का फर्जी पाये जाने तथा अभिलेखों का संधारण सही तरीके से नही करने से संबंधित आरोप के लिए आरोप पत्र गठित कर विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–30–सह पठित–ज्ञापांक 1103 अनु0 दिनांक 11.06.2020 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसके निमित्त मुख्य अभियंता–2, ग्रामीण कार्य विभाग को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

संचालन पदाधिकारी (मुख्य अभियंता–2, ग्रामीण कार्य विभाग) के पत्रांक 1866 अनु0 दिनांक 26.06.2023 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें श्री बोधराज के विरूद्ध गठित आरोपों को आंशिक रूप से प्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया।

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की विभागीय समीक्षोपरांत इससे सहमत होते हुए एवं संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की प्रति श्री बोधराज को भेजते हुए विभागीय पत्रांक 2403 अनु0 दिनांक 13.11.2023 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित करने का निदेश दिया गया।

श्री बोधराज द्वारा अपने पत्रांक शून्य दिनांक 27.11.2023 के माध्यम से द्वितीय बचाव बयान समर्पित किया गया। इनके द्वारा समर्पित द्वितीय बचाव बयान की विभागीय समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत विभागीय पत्रांक 2865 दिनांक 12.11.2024 द्वारा कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, वीरपुर से श्री बोधराज के निविदा आई0डी0 सं0–64663 एवं बीड आई0डी0–289120 में निविदा से लेकर एकरारनामा तक किये गये कार्य के सम्बद्वता के संबंध मे प्रतिवेदन की माँग की गई। कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, वीरपुर के पत्रांक 1830 दिनांक 19.11.2024 द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में यह उल्लेख किया गया है कि निविदा आई0डी0 सं0–64663 एवं बीड आई0डी0–289120 के निष्पादन अवधि तक श्री बोधराज, निम्नवर्गीय लिपिक इस प्रमंडल मे कार्यरत थे। श्री बोधराज को दिनांक 13.02.2019 के अपराहन से विरमित किया गया है।

—८।

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में श्री बोधराज, तत्कालीन निम्नवर्गीय लिपिक, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, वीरपुर के द्वितीय बचाव बयान को अस्वीकृत करते हुए इनके विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14 (v) के तहत असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक का दंड अधिरोपित करने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया है।

अतः अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री बोधराज, तत्कालीन निम्नवर्गीय लिपिक, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, वीरपुर सम्प्रति निम्नवर्गीय लिपिक, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मनिहारी के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14 (v) के तहत निम्नांकित शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है:–

(i) असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक।

6/3/25
(आदित्य प्रकाश)
अवर सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–76/2020 2690 /पटना, दिनांक :– 6.3.25

प्रतिलिपिः–अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग के निजी सहायक/मुख्य अभियंता–4, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मधेपुरा/पूर्णियाँ/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, वीरपुर/मनिहारी/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–8/आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना एवं श्री बोधराज, तत्कालीन निम्नवर्गीय लिपिक, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, वीरपुर सम्प्रति निम्नवर्गीय लिपिक, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मनिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/3/25
अवर सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–76/2020 2690 /पटना, दिनांक :– 6.3.25

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, पूर्णियाँ/मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/3/25
अवर सचिव